

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।

पत्रांक—  
सेवा में,

1162/14-10, दिनांक सुलतानपुर: 19-9-

2020

अधिकाधी अभियन्ता,  
अतिरिक्त निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम,  
सुलतानपुर।

विषय:—

सांसद आदर्श ग्रामयोजना (एस०ए०जी०वाई०) वलीपुर के अन्तर्गत जोन- 2 (रतनपुर) में पेयजल पाइप लाइन विछाने से प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:—

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-578/11-सी- FP/ UP/ Water/39692/2019 दि० 12.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि आपके प्रस्ताव सं०-FP/ UP/ Water/39692/2019 जो ऑनलाइन किया गया है तथा प्रस्ताव की चार प्रतियाँ उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव में कतिपय आपत्तियाँ लगाई गयी हैं, जो कि आपको भी पृष्ठांकित हैं। अतः संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पाँच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

  
(आनन्देश्वर प्रसाद)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सुलतानपुर।